

Order sheet [Contd]

case No.B.A.-405/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>23-11-17 03:15 P.M. to 03:30 P.M.</p>	<p>आवेदकगण उदयसिंह, विजेन्द्र सिंह, एवं मोहर सिंह द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0। आवेदकगण की ओर से सूची सहित दस्तावेज पेश किए, नकल अभियोजन को दिलाई गई। थाना मौ के अपराध क्रमांक 304/17 अंतर्गत धारा-498ए भा0दं0सं0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त। उल्लेखनीय है कि अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक 394/17 आवेदक उदय सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 का है तथा अग्रिम जमानत आवेदन क्रमांक 405/17 आवेदकगण विजेन्द्र सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकार तीन आवेदकगण के दो प्रथक प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अग्रिम जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। दोनों जमानत आवेदन के साथ आवेदक विजेन्द्र सिंह एवं मोहर सिंह के बुआ के पुत्र गिरीश के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदकगण के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है। आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। आवेदक उदय सिंह की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह ग्राम मदनपुरा थाना मौ परगना गोहद का स्थाई निवासी होकर ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच है। आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया है कि आवेदक विजेन्द्र की शादी करीब 7-8 वर्ष पूर्व पिकी पूत्री पतीराम जाटव निवासी रामपुरा थाना मौ के साथ हुई थी। जिनके एक पुत्र व पुत्री का जन्म हो चुका है। विजेन्द्र की पत्नी झगडालू प्रवृत्ति की है और परिवार में कलह करने वाली महिला है। आज से करीब एक वर्ष पूर्व आवेदक विजेन्द्र तथा उसकी पत्नी पिकी में विवाद हुआ तब पिकी के मायके वाले आए और उनकी सुलहवार्ता आवेदक उदय सिंह द्वारा कराई गई, किंतु पिकी ने सुलहवार्ता नहीं मानी। दिसंबर 2016 में पिकी ने बालों की डाई का घोल</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी तब आवेदकगण ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया था, तब से पिकी अपने मायके जिद करके रहने लगी है। इस संबंध में आवेदक विजेन्द्र द्वारा लिखित रिपोर्ट भी थाना मौ पर की जा चुकी है। फिर भी फरियादिया विजेन्द्र के साथ रहने को तैयार नहीं है। आवेदक विजेन्द्र द्वारा धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम की याचिका भी दिनांक 31.10.17 को न्यायालय अपर जिला जज गोहद के यहां प्रस्तुत की गई है जिसकी जानकारी पिकी को हो चुकी है। आवेदकगण द्वारा एस.पी., एस.डी.ओ.पी. थाना प्रभारी मौ को इस आशय का एक आवेदन भेज जा चुका है कि पिकी झूठी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी थाना मौ ने पिकी की झूठी रिपोर्ट पर से आवेदकगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आवेदकगण ने कभी भी किसी भी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की है और न ही प्रताड़ित किया है। आवेदक उदयसिंह की ओर से व्यक्त किया है कि वह आवेदक विजेन्द्र एवं पिकी की मध्य पंचायत के माध्यम से सुलहवार्ता कर विवादों का निपटाने का प्रयास करता रहा है, इस कारण पिकी ने उसका नाम भी आवेदक विजेन्द्र और मोहर सिंह के साथ लिप्त करा दिया है। आवेदक विजेन्द्र एवं मोहर सिंह का परिवार अलग रहता है तथा उसका परिवार अलग रहता है। वह निर्वाचित सरपंच होकर प्रतिष्ठित व्यक्ति है यदि पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि फरियादिया पिकी श्रीमती पिकी जाटव का विवाह आवेदक विजेन्द्र सिंह जाटव के साथ दिनांक 16.10.10 को ग्राम मदनपुरा में हुआ था। विवाह के कुछ साल तक उसे ससुराल वालों ने अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा अच्छी तरह से रखा गया, परंतु वर्ष 2015 से फुआ ससुर उदयसिंह जाटव के कहने पर फरियादिया का पति विजेन्द्र व देवर मोहर सिंह फरियादिया को दहेज के लिए परेशान करने लगे, कई बार तीनों उसे घर से निकाल देते थे और कहते थे कि अपने बाप के यहां से एक मोटरसाइकिल तथा दो लाख रूपए लेकर आ, तभी उसे घर में रखेंगे। फरियादिया के पिता पातीराम द्वारा कई बार पंचायत कर उन लोगों को समझा बुझा कर फरियादिया को उसकी ससुराल भेजा गया। रिपोर्ट दिनांक 10.11.17 से लगभग तीन माह पहले पति विजेन्द्र सिंह जाटव फरियादिया को अपने पिता के घर ग्राम रामपुरा मय बच्चों के छोड़ गया और कहकर गया कि दहेज में एक मोटरसाइकिल और दो लाख रूपए लेकर आएगी तो घर में रखूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया के द्वारा थाना मौ में की गई।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आवेदकगण की ओर से दिनांक 16.12.16 को नगर निरीक्षक थाना मौ को किए गए आवेदन, पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ.पी. एवं थाना प्रभारी को किए गए आवेदन दिनांक 30.10.17 एवं धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। पुलिस को किए गए आवेदन में फरियादिया के द्वारा अपने पिता व भाई के साथ दिनांक 15.12.16 को चले जाना बताया गया है। साथ ही साथ नकदी व जेवर ले जाना भी बताया गया है। दिनांक 31.10.17 को विजेन्द्र सिंह के द्वारा धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में रिपोर्ट दिनांक 10.11.17 को की गई है।</p> <p>अपराध अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। मामले में फरियादिया की मारपीट आदि करने का कोई तथ्य नहीं है। अभियुक्त से कोई जप्ती आदि भी नहीं होनी है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप तथा आवेदकगण पर लगाए गए आक्षेपों को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप तीनों आवेदकगण उदयसिंह, विजेन्द्र सिंह एवं मोहर सिंह के प्रथक प्रथक दोनों आवेदन स्वीकार किए गए।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्तगण उदय सिंह, मोहर सिंह एवं विजेन्द्र को पुलिस थाना मौ के अपराध क्रमांक 304/17 अंतर्गत धारा 498ए भा0दं0सं0 में गिरफ्तार किया जाता है या अभिरक्षा में लिया जाता है तो उनके द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 20,000/-20,000/- रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश कर दिये जाते हैं कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक/अभियुक्तगण अन्वेषण में सहयोग करने के साथ-साथ मामले की जाँच/विचारण में नियमित उपस्थित होता रहेंगे। 2. अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, अभियोजन साक्षियों को पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देंगे, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे। <p>यदि इन शर्तों का पालन किया जाता है तभी यह आदेश प्रभावी रहेगा। आवेदकगण इस आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अंदर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जिसका पालन न करने पर, यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे।</p> <p>आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापिस की जावे।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रकरण का सार अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p>गोहद जिला भिण्ड</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)